न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/06/2025	2025/206	15.10.2025	01.04.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) राजगढ़, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि0 माधोगढ, तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राज0)।

–अप्रार्थी

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर राजस्थान सरकार

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी
02– अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

तहसीलदार राजगढ़ ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) भूमि आवंटन नियम, जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम माधोगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर के हाल आराजी खसरा नं. 358/508 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी–2 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। पर्याप्त अवसर के बावजूद अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ, अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि सुरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि0 माधोगढ, तहसील राजगढ़ जिला अलवर को साबिक खसरा नंबर 279/258 मिन रकबा 04 बीघा हाल आराजी खसरा नं. 358/508 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी–2 भूमि वाके ग्राम माधोगढ़, तहसील राजगढ़ जिला अलवर की भूमि कृषि हेतु आवंटन की गई थी।

ग्राम माधोगढ़ के साबिक खसरा नंबर 279/258 मिन रकबा 04 बीघा भूमि दिनांक 02.06.02 को गैर सायल को आवंटित हुई थी। जो कि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–2072 के खाता संख्या 155 पर अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

ग्राम माधोगढ के मिसल बन्दोबस्त संवत् 2046 से 2065 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 279/258 मिन रकबा 04 बीघा के हाल आराजी खसरा नं. 358/508 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी–2 बना है।

आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में संपूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। मौके पर एनीकट की पाल बनी हुई है व कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

अतः आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर भू–राजस्व कम किया जाना फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत सूचना/तामील अनुपस्थित। यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजगढ़ द्वारा राजकीय अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी पक्ष का निवेदन है कि ग्राम माधोगढ की भूमि जिसके साबिक खसरा नंबर 279/258 मिन रकबा 04 बीघा के हाल आराजी खसरा नं. 358/508 रकबा 0.10 है0 भूमि है, का आवंटन अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि0 माधोगढ, तहसील राजगढ़ जिला अलवर को दिनांक 02.06.02 को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था। प्रार्थी के अनुसार आवंटी ने आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों और रिपोर्टों का बारीकी से अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का पलवा की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 के अनुसार, हाल आराजी खसरा नं. 358/508 रकबा 0.10 है0 भूमि के मौके पर उक्त खसरा पर गैर खातेदार का कब्जा नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त खसरा नंबर पर एनीकट की पाल बनाई हुई है। उक्त आराजी खाता संख्या 155, जमाबंदी संवत 2071–2075 पर अप्रार्थी का नाम 'गैर खातेदार' के रूप में दर्ज है, किंतु मौके पर कब्जा व काश्त का अभाव है। राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी संवत 2060–63 व 2071–73 के अनुसार भूमि 'पड़त' दर्ज है। यह प्रमाणित करता है कि आवंटन के दशकों बाद भी भूमि पर कोई कृषि या काश्त नहीं की गई एवं अप्रार्थी/आवंटी का कब्जा नहीं है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 के तहत आवंटित भूमि पर निर्धारित समय सीमा में कृषि कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य शर्त है। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि अप्रार्थी/आवंटी ने आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। ग्राम माधोगढ़, तहसील राजगढ़ के हाल आराजी खसरा नं. 358/508 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी–2 भूमि का अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि0 माधोगढ, तहसील राजगढ़ जिला अलवर के पक्ष में दिनांक 02.06.2002 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार